(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING (DEVELOPMENT DEPARTMENT) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054. Fax No. 23818298, E-Mail Address: dagri@sansad.nic.in

No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/76/6

Dated: 28-02-11

ORDER

No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/ In exercise of powers under Sub Section (2) of Section 23 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, an area of 1.5 Acres within the compound of Fruit & Vegetable Market, IFC Gazipur is notified as Market Yard of Flower Market with boundaries as under:-

East

45.00 mt. road.

West:

Gazipur Village.

North:

Subzi Mandi, Gazipur.

South:

NH-24.

By Order,

Keluh

(KAILASH CHANDRA)
DIRECTOR, AGRICULTURAL
MARKETING CUM SPL.
SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL
CAPITAL TERRITORY OF
DELHI

No. F. 8(8)/2011/DAM/MR/7617-763/

Dated: 28-2-11

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad

The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.

5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi

8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing

Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.

9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two

10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.

11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi

12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi

14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15. Guard file.

(KAILASH CHANDRA)
DIRECTOR, AGRICULTURAL
MARKETING CUM SPL.
SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL
CAPITAL TERRITORY OF
DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ 8(8)/2011/डी०ए०एम०/एम०आर०/7616

दिनांक: 28-02-2011

आदेश

सं एफ 8(8)/2011/डी०ए०एम०/एम०आर०/

कृषि उत्पाद विपणन

(विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ 1.5 एकड़ क्षेत्रफल, फल एवं सब्जी मण्डी, आई.एफ.सी. गाजीपुर के प्रागंण में पुष्प मण्डी जिसकी सीमाऐं निम्न होगी को नोटिफाईड किया जाता है:—

पूर्व

45.00 मीटर रोड.

पश्चिम

गॉव गाजीपुर

उत्तर

सब्जी मण्डी, गाजीपुर

दक्षिण

राष्ट्रीय राजमार्ग – 24

आदेश से,

क्लाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) निदेशक, कृषि विपणन एवं विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं. एफ 8(8) / 2011 / डी०ए०एम० / एम०आर० / ७६। ७ - ७६३।

दिनांक : 28-02-2011

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- सिचव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सिचवालय, नई दिल्ली।

स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

- अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

10 अध्यक्ष / सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली / नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया / मावा विपणन समिति, बाग दीवार / मोरी गेट एवम पुष्प विपणन समिति, महरौली, दिल्ली।

11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

15 गार्ड फाईल।

ंकैलाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) निदेशक, कृषि विपणन एवं विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार